"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012"

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 दिसम्बर 2011—पौष 2, शक 1933

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2011

क्रमांक 1203/1433/अव./2011/1-8/स्था.—श्री गिरीश कोल्हे, मुख्य लेखा अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (लेखा शाखा) को दिनांक 12-7-2011 से 26-7-2011 तक 15 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कोल्हे, आगामी आदेश तक मुख्य लेखा अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (लेखा शाखा) के पद पर पुनः पदस्थ होंगे

जल संसाधन (आयाकट) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2011

क्रमांक एफ 11-3/06/आया/40.—छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 2006 (क्र. 20 सन् 2006) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 37 के उप-नियम (1) के खण्ड (एक) में, शब्द "अनुविभागीय अधिकारी" के स्थान पर शब्द "उप अभियंता" प्रतिस्थापित किया जाये.

2. नियम 37 के उप-नियम (1) के खण्ड (दो) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—
   "(दो) मध्यम सिंचाई प्रणाली में वितरिका समिति-अनुविभागीय अधिकारी."

3. नियम 37 के उप-नियम (1) के खण्ड (चार) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :—
   "(पांच) वृहद सिंचाई प्रणाली में वितरिका समिति-कार्यपालन अभियंता."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2011

क्रमांक एफ 11-3/06/आया/40.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी नियम, 2006 (क्रमांक 20 सन् 2006) में संशोधन संबंधी इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24-11-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
याकुब खेस्स, उप-सचिव

Raipur, the 24th November 2011

No. F 11-3/06/Aya/40.—In exercise of the powers conferred by Section 55 of the Chhattisgarh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhiniyam, 2006 (No. 20 of 2006), the State Government, hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Niyam, 2006, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In clause (i) of sub-rule (1) of Rule 37, for the words "Sub Divisional Officer" the words "Sub Engineer" shall be substituted.

2. For clause (ii) of sub-rule (1) of Rule 37, the following clause shall be substituted, namely :—
   "(ii) Distributory Committee in medium irrigation systems-Sub Divisional Officer."

3. After clause (iv) of sub-rule (1) of Rule 37, the following clause shall be inserted, namely :—
   "(v) Distributory Committee in major irrigation systems-Executive Engineer."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
YACUB KHESS, Deputy Secretary.